न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 83 / 2021(2021 / 333)

1. श्रीमति उषा अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल जाति महाजन
2. राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल पुत्र श्री छगन लाल चोकड़ीवाल जाति महाजन
निवासीगण केकड़ी तहसील केकड़ी जिला अजमेर राज. मो. 9414004911 ——प्रार्थीगण

बनाम

1. तहसीलदार महोदय केकड़ी जिला अजमेर राज. —— अप्रार्थी

उपस्थित:–

1. श्री राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल–वकील वादी।
2. पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी–अप्रार्थी

<u>राजस्व प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट</u>

<u>आदेश</u>

दिनांक 10.10.2022

पत्रावली आज न्यायालय में पेश हुई। प्रार्थी द्वारा संक्षेप में राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज. लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत प्रस्तुत किया है। उक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात वाके करबा केकडी तहसील केकडी जिला अजमेर में स्थित है। आराजी की जमाबंदी संवत 2069–72 में दर्ज अंकन निम्नानुसार दर्ज रिकॉर्ड है।

खाता संख्या (नया–पुराना)	खसरा नम्बर	रकबा (है.)	किस्म
134–99	1402	0.83	बारानी–1
	किता 1	रकबा 0.83हैक्टर	

उपरोक्त आराजी प्रार्थि की खातेदारी की अराजीयात है तथा प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। वर्णित आराजी प्रार्थी की स्वयं की अराजी है आराजी प्रार्थि के संयुक्त कब्जे, स्वामित्व व आधिपत्य मे चली आ रही है प्रार्थीगण उक्त खेत पर मौके पर नाप चोप करवाकर स्थायी पत्थरगढ़ी करवाना चाहते है ताकि विवाद नही बढे। अतः प्रार्थना है कि विपक्षी को आदेष फरमावे जाकर मौके पर स्थायी पत्थरगढी नाप चोप कर करवायी जाकर पालन रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित करवायी जावे।

प्रकरण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी जर्ये तहसीलदार केकडी ने जवाब टिप्पणी अंकित कर बताया कि संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपि अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदारी मे दर्ज है राजहित प्रभावित नही है। पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया । पक्षकारान की बहस पर मनन किया। प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार है। खातेदार काश्तकार को स्वयं की खातेदारी की पत्थरगढी करवाने के हक अधिकार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अधि. के तहत स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार केकडी वाके कस्बा केकडी तहसील केकडी की जमाबन्दी संवत 2069–72 के खाता संख्या नया पुराना 134–99 के खसरा संख्या 1402 रकबा 0.83हैक्टर की पत्थरगढी प्रार्थी द्वारा नियमानुसार पत्थरगढी शुल्क जमा कराने पर कार्मिकों की टीम गठित करके की जावें। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with OKEN Scanner